

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज०)**

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीर प्रसाद नायक, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 37/2019 प्रार्थनापत्र

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

**उनवान**

1. दिनेश कुमार पिता रामेश्वर खाती निवासी बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
2. रामपाल पिता लादू खाती निवासी बडला तहसील फूलियाकलां
3. ईश्वर पिता लादू खाती निवासी बडला तहसील फूलियाकलां
4. सुरेश पिता लादू खाती निवासी बडला तहसील फूलियाकलां
5. मु० दुर्गा पुत्री लादू खाती निवासी बडला तहसील फूलियाकलां
6. मु० लादी पत्नी लादू खाती निवासी बडला तहसील फूलियाकलां

**प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. गोपाल पिता संजय सेन निवासी बडला तहसील फूलियाकलां
2. घीसू पिता खाना कुमावत निवासी बडला तहसील फूलियाकलां
3. गंगाराम पिता धन्ना रेगर निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकलां
4. भैरू पिता लादू गुर्जर निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकलां
5. सम्पत पिता देवकिशन रेगर निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकलां
6. रतन पिता गोकल रेगर निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकलां
7. लादू पिता उदा रेगर निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकलां
8. सन्तु पिता पोखर रेगर निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकलां
9. महावीर पिता देबी रेगर निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकलां
10. मांगीलाल पिता हजारी रेगर निवासी आमली बारेठ तहसील फूलियाकलां

**विपक्षीगण**

**निर्णय**

**दिनांक 31.05.2019**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थीगण के बडला तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 31 रकबा 0.16 है० व आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 0.38 है० व आराजी खसरा नम्बर 33 रकबा 0.41 है० व आराजी खसरा

नम्बर 34 रकबा 0.92 है0 व आराजी खसरा नम्बर 35 रकबा 0.20 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 2.07 है0 का प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम बडला संवत 2074 से 2077 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा बडला मे स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 05 रकबा 2.07 हैक्टयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार, फूलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 800/- रुपये (अक्षरे आठ सौ रुपये मात्र) कायम किये जाते है जो प्रार्थीगण से तहसीलदार फूलियाकलो मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 31.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



( एम0पी0 नायक )

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर

फूलिया कलां जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)



उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर

फूलिया कलां जिला-भीलवाड़ा